बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–95/2013–5612 /यो.वि.,दिनांक ~~नवम्बर,2014~~ 03.12.2014

प्रेषक,

डा0 अरविन्द कुमार,
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार
सभी कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय बिहार विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा पर योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला योजना पदाधिकारी एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता को सौंपी गई है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का प्रगति प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को एवं जिला योजना पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी तथा विभाग को अलग–अलग भेजा जाता है। कार्यपालक अभियंता एवं जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा प्रेषित प्रगति प्रतिवेदन के ऑकड़ों में भिन्नता के कारण प्रमण्डलीय बैठकों में योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कारण योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।

2. अतः निदेशानुसार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र I, II, I (क) एवं II (क) का प्रेषण निम्न व्यवस्था के अंतर्गत की जाय :–

प्रेषित करने वाले पदाधिकारी	**प्रतिवेदन प्रेषित करने की तिथि**	**पदाधिकारी जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा**
सहायक अभियंता	व्यय के आधार पर तैयार प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 2री तारीख तक	कार्यपालक अभियंता
कार्यपालक अभियंता	सहायक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन का संकलित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 3री तारीख तक	जिला योजना पदाधिकारी
जिला योजना पदाधिकारी	कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन का संकलित मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक	योजना एवं विकास विभाग, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, अधीक्षण अभियंता

उपर्युक्त वर्णित तिथियों तक प्रतिवेदन भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। ससमय प्रतिवेदन नहीं भेजने को गम्भीरता से लिया जायेगा।

विश्वासभाजन

3/12/14

(डा0 अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–95/2013–5612/यो.वि.,दिनांक 03 दिसम्बर,2014

प्रतिलिपिः विभागीय आई0टी0 मैनेजर को ई–मेल/विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/12/14
संयुक्त निदेशक